न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश-III,समस्तीपुर
सत्रवाद संख्या– 546 सन् 2022
पंजीयन संख्या– 1156/2021
निर्णय की तिथि– 27/05/2026
उपस्थित :– राहुल कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय
समस्तीपुर।
ताजपुर थाना कांड संख्या–194/2021

सूचक	सुनील कुमार सिंह
विद्वान अपर लोक अभियोजकगण	श्री शिव कुमार एवं श्री शिव शंकर प्रसाद
अभियुक्त	ओम प्रकाश उर्फ उपेन्द्र, उम्र–33 वर्ष, लगभग, पे0– जगरनाथ सिंह सा0– सहदुल्ला, थाना– सकरा, जिला– मुजफ्फरपुर।
अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्तागण	श्री विनोद कुमार सिंह एवं श्रीमती संगीता यादव
आरोप अन्तर्गत धारा– 395, 412 एवं 120 बी, भारतीय दण्ड संहिता, 1860	

निर्णय

1. उक्त नामित अभियुक्त धारा–395, 412 एवं 120(B) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (एतस्मिन् पश्चात् भा0द0वि0 के नाम से संबोधित किया जाएगा) के आरोपों के अन्तर्गत विचारण का सामना कर रहे हैं।

2. प्रस्तुत वाद सूचक सुनील कुमार सिंह, रोकड़ अधिकारी स्टेट बैंक ताजपुर शाखा के फर्द बयान, जो दिनांक–19.05.2021 को 12:30 बजे अपराह्न में थानाध्यक्ष ताजपुर शंभुनाथ सिंह के द्वारा दर्ज किया गया है, के आधार पर संस्थित है।

तद्नुसार, घटना, सारतः यह है कि सूचक सुनील कुमार सिंह जो स्टेट बैंक ताजपुर शाखा में रोकड़ अधिकारी हैं, दिनांक–19.05.2021 को बैंक के समय से शाखा पर आकर काउन्टर संख्या 03 से ग्राहकों के रूपये का जमा निकासी करने लगे, काउन्टर संख्या 02 पर सहायक रोकड़िया सरोज कुमार भी ग्राहकों के रूपये का जमा निकासी कर रहे थे। समय करीब 10:20 बजे पूर्वाह्न 07 की संख्या में अपराधकर्मी ग्राहक बनकर एक–एक कर शाखा के अंदर प्रवेश कर गए और

उनमें से तीन अपराधकर्मी तीनों काउन्टर पर अपना–अपना हथियार निकाल कर, हथियार को कॉक करते हुए काउन्टर को अपने कब्जे में ले लिया तथा सूचक के काउन्टर से 1,93,350 (एक लाख तिरानवे हजार तीन सौ पचास रूपया) एवं काउन्टर संख्या–02 पर सहायक रोकड़िया सरोज कुमार भास्कर के काउन्टर से 5,96,000 (पॉच लाख छियानवे हजार) रूपया एवं उसके पर्स से 1200 (बारह सौ रूपया) उनके नाम का एस0बी0आई0 का 02 (दो) ए0टी0एम0 कार्ड एवं उनका बैंक का पहचान पत्र एवं उनकी पत्नी अर्चना देवी के नाम का एक एस0बी0आई0 का ए0टी0एम0 कार्ड एवं अन्य कागजात लूटकर एक पीट्ठू बैग में रखते हुए लगभग पॉच मिनट के अन्दर शाखा से निकल कर फरार हो गए। जाते समय धमकी दिए की यदि पुलिस को फोन कर खबर किया तो बाद में भी गोली मार देंगे। घटना के समय 02 अपराधकर्मी शाखा प्रबंधक के कार्यालय को अपने हथियार के बल पर कब्जा में किए हुए थे। एक अपराधी शाखा के मुख्य गेट (ग्रील) को कब्जा में लिए थे एवं एक अपराधकर्मी शाखा के अन्दर हथियार के बल पर ग्राहकों को कब्जे में लिए हुए थे। सभी अपराधकर्मी देखने में लगभग 25–30 वर्ष के थे जिसमें एक अपराधकर्मी सूचक के काउन्टर से लूट–पाट किए जो देखने में गेहुॅआ रंग का था एवं जिन्स पैन्ट एवं लाल चेकदार शर्ट पहने हुए था एवं लाल रंग का गमछा मुॅह में लपेटे हुए था एवं उसका बाल बड़ा–बड़ा था। एक अन्य अपराधकर्मी जो ब्लू रंग का जिन्स एवं आसमानी रंग का शर्ट पहने हुए था। सभी अपराधकर्मी अपने–अपने मुॅह में मास्क लगाए हुए था। शाखा में लूट–पाट का सम्पूर्ण घटनाक्रम बैंक के C.C.T.V कैमरा में कैद हो गया जिसे देखा जा सकता है। शाखा से कुल 7,90,590 (सात लाख नब्बे हजार पॉच सौ नब्बे) रूपया तीन एस0बी0आई0 का ए0टी0एम0 कार्ड एक पहचान पत्र एवं पर्स में रखा 1200 रूपया एवं अन्य कागजात का लूट–पाट अज्ञात सात अपराधकर्मियों के द्वारा किया गया है।

3. सूचक के फर्द बयान के आधार पर प्रस्तुत वाद ताजपुर थाना कांड संख्या–194 / 2021 अन्तर्गत धारा–395 भा0द0वि0 दर्ज कर अनुसंधान का भार अ0नि0 विजय शंकर साह को सौंपा गया।

अनुसंधान समाप्ति के पश्चात आरोप पत्र संख्या&274@2020 अन्तर्गत धारा–395 / 412 / 120 (B) भा0द0वि0 समर्पित किया गया। आदेश दिनांक–26.11. 2021 के जरिए अपराध का संज्ञान अन्तर्गत धारा–395 , 412, 120 (B) भा0द0वि0 विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा लिया गया तथा उक्त नामित अभियुक्त का वाद आदेश दिनांक–21.09.2022 के जरिए विद्वान सत्र न्यायालय को द्वारा सुपुर्द किया गया।

मामले में उक्त नामित अभियुक्त के विरूद्ध आरोप का गठन दिनांक–21.10.

2022 को धारा–395, 412 एवं 120 (B) भा0द0वि0 के अन्तर्गत किया गया। आरोप का सार अभियुक्त हिन्दी में सुनाया समझाया गया अभियुक्त ने दोष स्वीकार न कर के विचारण का दावा किया।

वाद दिनांक–25.11.2022 अभियोजन साक्ष्य के लिए अग्रसर हुआ और अभियोजन साक्ष्य का अवसर आदेश दिनांक–31.01.2025 के जरिए बंद किया गया। हालांकि, आदेश दिनांक–12.02.2025 के जरिए धारा–311 द0प्र0स0 के अन्तर्गत अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया तत्पश्चात् अभियोजन साक्ष्य का अवसर आदेश दिनांक–22.01.2026 के जरिए बंद कर अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 द0प्र0स0 दिनांक–31.01.2026 को दर्ज किया गया। बचाव पक्ष के निवेदन पर सफाई साक्ष्य का अवसर आदेश दिनांक–07.02.2026 के जरिए बंद कर उभय पक्ष का बहस सुनने के उपरांत वाद आज निर्णय हेतु नियत है।

मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल हो पाया है ?

मंतव्य

4. किसी भी निष्कर्ष पर पहुॅचने से पूर्व अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन आवश्यक एवं वांछनीय है। तत्निमित्त, अभियोजन का साक्ष्य लिया जाता है–

4.1 अभियोजन साक्षी संख्या–01, सुनिल कुमार सिंह, रोकड़ अधिकारी एस0बी0आई0, इस वाद के सूचक हैं और इन्होंने अपने अभिसाक्ष्य में अभिकथित किया है कि घटना दिनांक–19.05.2021 के 10 बजकर 20 मिनट की है, उस दिन वे एस0बी0आई के ताजपुर ब्रांच में पदस्थापित थे और काउन्टर पर बैठकर अपना कार्य कर रहे थे, उसी कम में अचानक से 07 अपराधकर्मी हाथों में पिस्तौल लिए बैंक के अन्दर घुस गए तथा सारे काउन्टर को कब्जे में ले लिया और साक्षी के काउन्टर से 1,93,390 रूपया ले लिया तथा दो नम्बर काउन्टर जिस पर सरोज कुमार भास्कर बैठे थे, से 5,96,000 रूपया, 1200 रूपया सरोज कुमार भास्कर के पर्स से एवं तीन एटीएम कार्ड जो उनका तथा उनका पत्नी का था भी ले लिया और 05 मिनट के अंदर सभी काम कारके अपराधकर्मी बैंक स, जाते–जाते यह धमकी देते की पुलिस को बताओगे तो बाद में आकर गोली मार दुंगा, भाग गये। आगे साक्षी यह अभिकथित करते हैं कि उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दे, पुलिस नें उनका फर्द बयान दर्ज किया जिस पर उनका, ब्रजकिशोर जोंको, दीपक कुमार एवं सरोज कुमार भास्कर जो सभी बैंक के कर्मचारी हैं, का हस्ताक्षर अंकित है। साक्षी के पहचान पर फर्द बयान पर अंकित सभी हस्ताक्षर हैं को प्रदर्श–01 अंकित किया गया।

साक्षी ने यह भी अभिकथित किया है कि सभी अपराधी अपना मुॅह

बांधे हुए थे, एक गमछा से मुँह लपेटे हुए था तथा अन्य मास्क लगाये हुए था परन्तु साक्षी ने किसी को नहीं पहचाना। साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त अर्थात ओम प्रकाश उर्फ उपेन्द्र को देखकर पहचानने से इंकार किया है। प्रति–परीक्षण में भी साक्षी ने स्वीकृत किया है कि सभी अपराधकर्मी अपना मुँह बांधे हुए थे इसलिए उनका पहचान करना संभव नहीं है।

4.2 अभियोजन साक्षी संख्या 02 सरोज कुमार भास्कर जो एस0बी0आई0 ताजपुर ब्रांच (घटना स्थल) के रोकड़ अधिकारी कहे जाते हैं ने अभिसाक्ष्य में अभिकथित किया है कि घटना दिनांक–19.05.2021 के 10:17–18 बजे की है और उस दिन वे एस0बी0आई0 ताजपुर शाखा में कैश काउन्टर पर बैठे हुए थे तभी बिजली चली गई और कुछ सेकंड के बाद आवाज आया कि हाथ उठाओ, हाथ उठाओ तब साक्षी सहित अन्य लोग खड़े हो गए। आगे साक्षी यह अभिकथित करते हैं कि वे 06 की संख्या में थे, सभी के हाथ में पिस्टल था और बोल रहे थे कि गोली मार देंगे और उनमें से एक लंबे आदमी तीन नम्बर काउन्टर के अंदर आ गया जहॉ पर सुनिल कुमार सिंह कर्मचारी थे, वहॉ जाने पर वह आदमी बोलने लगा की पैसा निकालो नहीं तो गोली मार देंगे और उनके काउन्टर से 1,93,000 रूपया लगभग ले लिया और उसके बाद साक्षी के काउन्टर में प्रवेश कर वहॉ से 5,96,000 रूपया का पैकेट ले लिया और उसके बाद एक नम्बर काउन्टर के स्टाफ को टच किया तो वो बोला कि उसके पास कुछ नहीं है उसके बाद सभी निकल कर चले गये।

साक्षी यह भी अभिकथित करते हैं कि ये सभी लोग मास्क पहने और गमछा लपेटे हुए थे, इसी कारण साक्षी उनलोगों का मुँह नहीं देख पाया और इसी कारण से न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को भी नहीं पहचान सकता।

साक्षी ने यह भी अभिकथित किया है कि घटना के दौरान उनका कुछ निजी सामान जिसमें तीन एस0बी0आई0 एटीएम कार्ड (दो साक्षी का एवं एक उनकी पत्नी अर्चना का), 1200 रूपया नकद एवं बैंक का आईडी कार्ड भी ले गये। साक्षी ने अपने एक एटीएम कार्ड का नम्बर 9410 बताया है।

प्रति–परीक्षण में साक्षी ने यह अभिकथित किया है कि उनके व्यक्तिगत लूटे गये सामान की पहचान किसी पुलिस या दण्डाधिकारी से थाना पर नहीं करवाया गया और न ही वे किसी अपराधी को पहचाने।

4.3 अभियोजन साक्षी संख्या 03 धर्मेन्द्र कुमार जो एस0बी0आई0 ताजपुर ब्रांच के वरीय सहायक कहे जाते हैं ने अभिसाक्ष्य में अभिकथित किया है कि घटना दिनांक–19.05.2021 के 10 बजकर 20 मिनट की है और उस दिन वे एस0बी0आई0 ताजपुर शाखा में काउन्टर नम्बर 01 पर बैठे थे और उस समय बिजली चली गयी थी और उसी समय लगभग 05–06 लोग बैंक के अंदर घुसे और उसमें से कुछ लोग

बोले कि सायरन कोई नहीं बजाएगा और हाथ उपर कर लें तथा एक आदमी बंदूक के साथ मेरे काउन्टर पर आया तथा कैश का डिमांड किया तो वे कहे की काउन्टर पर कैश नहीं है तब अपराधकर्मी काउन्टर नम्बर 02 की तरफ बढ़ा और 02 नम्बर काउन्टर पर कैश जायदा होने की बजह से कैश निकालकर दूसरे साथी जो काउन्टर नम्बर 03 के पास खड़ा था वो दे दिया और जाते समय साक्षी के काउन्टर को देखते हुए यह बोला की मोदी को बोल देना की नौकरी नहीं दोगे तो यही सब करेंगे। साक्षी यह भी कहते हैं कि लगभग 7,90,000 रूपया के आस–पास रकम लूटी गई और लूटने के बाद सभी साथी गेट से बाहर चले गये। साक्षी ने यह भी अभिकथित किया है कि चुकि घटना के समय बैंक में बिजली नहीं थी और सभी मास्क लगाए हुए थे, इसलिए वह अपराधियों को पहचान नहीं पाया। साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को भी पहचानने से इंकार किया। प्रति–परीक्षण में साक्षी ने अभिकथित किया है कि वह किसी भी अपराधी को पहचान नहीं पाया।

4.4 अभियोजन साक्षी संख्या 04 ब्रजकिशोर सिंह जोंको जो स्टेट बैंक ताजपुर शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक कहे जाते हैं ने अपने अभिसाक्ष्य में अभिकथित किया है कि घटना 19.05.2021 के सुबह के लगभग 10:20 बजे की है। उस समय वे स्टेट बैंक ताजपुर शाखा में शाखा प्रबंधक के पद पर थे और घटना के समय अपने चैम्बर में थे तथा बाकी कैशियर सुनिल कुमार सिंह, सरोज भास्कर एवं धर्मेन्द्र कुमार अपने–अपने काउन्टर पर थे। प्रतिदिन की भांति उस दिन भी सभी लोग अपना काम कर रहे थे तभी उक्त समय को ग्राहक के रूप में लगभग 06 अपराधकर्मी एक–एक कर के अंदर आए और उनमें से एक अपराधी साक्षी के चैम्बर के दरबाजे पर धक्का मारते हुए अंदर घुस गया तथा हाथ खड़ा करने के लिए बोला और उसके साथ एक और अपराधी साक्षी के चैम्बर में चला आया। साक्षी के चैम्बर में उस समय फिल्ड ऑफिसर अभिषेक आनंद भी उपस्थित थे जिन्हें दूसरे अपराधी ने इशारे से बगल होने के लिए बोला और उनके टेबल के दराज को चेक करने लगा और सी0सी0टी0वी0 के डी0वी0आर0 बॉक्स का चाभी मॉग रहा था और एक अपराधी बार–बार दरबाजा खोलकर अंदर बाहर देख रहा था। डी0वी0आर बॉक्स का चाभी नहीं मिलने पर उसे तोड़ने का प्रयास कर रहे थे लेकिन न तो बॉक्स को तोड़ पाये और न ही डी0वी0आर ले पाये। इस बीच, बाकी अपराधी कैश काउन्टर से कैश का लूट कर रहे थे और लगभग 05 मिनट के बाद सभी लोग लूट कर जान से मारने की धमकी देते हुए जाने लगे। सभी अपराधियों के हाथ में हथियार था, सभी अपराधी मास्क पहने हुए थे और गमछा लपेटे थे। घटना सी0सी0टी0वी में कैप्चर हो गया। आगे साक्षी यह भी अभिकथित करते हैं कि अपराधियों के जाने के बाद कैश का मिलान किया गया तो 7,90,590 रूपया लूटे जाने का पता चला और यह भी कि साक्षी के एक कैशियर

सरोज भास्कर का तीन ए0टी0एम0 कार्ड, एक आईडी कार्ड तथा कुछ कागजात भी अपराधी ले गए। साक्षी यह भी अभिकथित करते हैं कि लूट के रूपया पर कवर फ्लैप एस0बी0आई ताजपुर का मुहर लगा हुआ, लगा हुआ था। लूट के रूपया का सिरियल नम्बर किसी रजिस्टर में अंकित नहीं है केवल यह लिखा होगा कि 100 का, 20 का, 1000 का कितना बंडल है। साक्षी यह भी अभिकथित करते हैं कि यदि नोट का बंडल का फ्लैप दिखाया जाएगा तो वे पहचान लेंगे।

साक्षी ने यह भी अभिकथित किया है कि सभी अपराधी मास्क लगाए हुए थे। साक्षी ने न्यायालय में खड़े अभियुक्त को पहचानने से इंकार किया है परन्तु प्रदर्श–01 पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की है।

प्रति–परीक्षण में साक्षी ने अभिकथित किया है कि जो रूपया लूटा गया उस रूपया को देखकर वे नहीं पहचान सकते तथा बैंक में जो रूपया का बंडल होता है उस पर फ्लैप लगा होता है और उसे उसी तरह ग्राहक को भी दे दिया जाता है।

न्यायालय प्रश्न के उत्तर में साक्षी ने अभिकथित किया है कि जिस दिन लूट पाट की धटना हुई उस दिन घटना के समय लेन–देन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और जो पैसा लूट लिया गया वह स्ट्रॉंग रूम से कैशियर को दिया गया था। लूट पाट किया गया पैसा का सीरियल नम्बर का इंट्री बैंक के रिकॉर्ड में नहीं होगा।

4.5 अभियोजन साक्षी संख्या 05 इस वाद के अनुसंधानकर्ता विजय शंकर साह हैं उन्होंने अपने परीक्षण में अभिकथित किया है कि दिनांक–19.05.2021 को वे ताजपुर थाना में पु0अ0नि0 के पद पर कार्यरत हैं और उस समय थानाध्यक्ष शंभुनाथ सिंह के द्वारा प्रस्तुत मामला अर्थात ताजपुर थाना कांड संख्या 194/2021 का अनुसंधान भार उन्हें सौंपा गया। साक्षी के पहचान पर फर्द बयान पर पृष्ठांकन एवं फॉर्मल एफ0आई0आर0 के तीनों पृष्ठों के नीचे थानाध्यक्ष शंभुनाथ सिंह के हस्ताक्षर व मोहर को क्रमशः प्रदर्श–02, 03, 03/01, 03/02 अंकित किया गया। साक्षी ने अभिकथित किया है कि अनुसंधान के भार ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया तथा साक्षी सरोज कुमार भास्कर, धर्मेन्द्र कुमार, अभिषेक आनंद एवं ब्रजकिशोर जोंको का बयान दर्ज किया एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा का भी अवलोकन किया। साक्षी यह भी अभिकथित करते हैं कि अनुसंधान के क्रम में उन्हें जानकारी मिली की प्लैटिना एवं सुपर स्प्लेन्डर मोटरसाईकिल का उपयोग भागने में किया था और दोनों मोटरसाईकिल पर तीन–तीन लोग सवार थे।

4.5(a) साक्षी यह भी अभिकथित करते हैं कि अनुसंधान के क्रम में ही दिनांक–17.06.2021 को मुफ्फसिल थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्र द्वारा उन्हें यह सूचित किया गया कि बैंक में लूट पाट करने वाले अपराधियों में से एक अपराधी ओम प्रकाश अपने

ससुराल पाहेपुर में छिप कर अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। सूचना के सत्यापन हेतु साक्षी मुफ्फसिल थाना गए वहॉ हाजीपुर के पु0अ0नि0 सुनील कुमार सिंह मुलाकात हुई जिन्होंने बताया की मो0 अरमान ग्राम–केसोपुर, थाना–सकरा, जिला–मुजफ्फरपुर की संलिप्तता इस कांड में पाई गई है एवं उसके पास से एस0बी0आई0 का क्रीम कलर ए0टी0एम0 कार्ड जिस पर सरोज कुमार भास्कर अंकित है पाया गया है। पुनः साक्षी कहते हैं कि मो0 अरमान के स्वीकारोक्ति बयान तथा जब्ती सूची की प्रति पु0अ0नि0 सुनील कुमार द्वारा उन्हें प्राप्त कराई गई। जिसका जिक्र उन्होंने कांड दैनिकी के परा–70 में किया है और मो0 अरमान कन्फेसन में ही ताजपुर बैंक डकैती के सभी अपराधियों का नाम आ गया। उसके बाद ओम प्रकाश जो पाहेपुर में छिप कर रह रहा है के विरूद्ध छापामारी में साक्षी भी मुफ्फसिल थाना के साथ गए। छापामारी के क्रम में ओम प्रकाश उर्फ उपेन्द्र पकड़ाया और उसके पास से हथियार के साथ–साथ इस कांड का 500/– रूपये का दो बंडल, प्रत्येक बंडल में सौ–सौ का नोट, जिसपर भारतीय स्टेट बैंक का मुहर लगा हुआ था, मोबाईल एवं भारतीय स्टेट बैंक का एक ए0टी0एम0 कार्ड जिसका नम्बर 5088330001669410 अंकित है, काले रंग का स्प्लेन्डर प्लस मोटरसाईकिल तथा एक पिट्ठु बैग बरामद हुआ है। संतोष कुमार, मुफ्फसिल थाना के द्वारा जब्ती सूची बनाया गया। चुंकि आर्म्स पाया गया था, इसलिए मुफ्फसिल थाना में आर्म्स एक्ट का केस 273/2021 दर्ज हुआ और ओम प्रकाश उर्फ उपेन्द्र का स्वीकारोक्ति बयान प्रवीण कुमार मिश्रा द्वारा लिया गया जिसमें उसने इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की।

साक्षी आगे अभिकथित करते हैं कि ओम प्रकाश के पास से बरामद सामान का जब्ती सूची संतोष कुमार तत्कालीन पु0अ0नि0 मुफ्फसिल थाना द्वारा साक्षी के सामने बनाया गया। प्राप्त सामान ग्राम– पाहेपुर स्थित अभियुक्त ओम प्रकाश के ससुर रामबाबू महतो के एकतल्ला मकान के अंदर से ओम प्रकाश की उपस्थिति में जब्त किया गया। यही वह जब्ती सूची है जो संतोष कुमार के लिखावट व हस्ताक्षर में है, जिसे साक्षी पहचान रहा है, जो दो साक्षी बिरेन्द्र कुमार एवं रामलाल महतो के समक्ष तैयार किया गया था, उनदोनों ने भी उस पर हस्ताक्षर किया था, यही वह दोनो हस्ताक्षर है जिसे साक्षी पहचान रहा है। जब्ती सूची की एक प्रति पर ओम प्रकाश को भी हस्तगत कराया गया जिस पर वह लिखा है कि एक प्रति पाया एवं अपना हस्ताक्षर किया। मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 273/2021 का यह सम्पूर्ण जब्ती सूची हस्ताक्षर सहित पदर्श–04 अंकित किया गया है।

साक्षी ने यह भी अभिकथित किया है कि इस जब्ती सूची में ताजपुर बैंक डकैती से संबंधित एक लाख रूपया एस0बी0आई0 का बरामद हुआ

तथा एक एस0बी0आई0 का ए0टी0एम0 कार्ड जिसका नम्बर 5088330001669410 एवं एक काले रंग का स्पलेन्डर मोटरसाईकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर एच0आर012क्वी5545 भी बरामद हुआ। इस मोटरसाईकिल का उपयोग ताजपुर बैंक डकैती में हुआ था।

साक्षी आगे अभिकथित करते हैं कि मुफ्फसिल थाना समस्तीपुर से हुस्न आरा खातून, ए0एस0आई0 द्वारा मुफ्फसिल थाना कांड संख्याI–273/2021 का वस्तु प्रदर्श न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो न्यायालय के समक्ष खोला जा रहा है। कुट का सील डब्बा पर मुफ्फसिल थाना कांड संख्याI–273/2021 का विवरण दर्ज है। कुट के सील डब्बा के अंदर एक सील किया हुआ कपड़ा का पैकेट है, जिसके कपड़ा पर भी मुफ्फसिल थाना कांड संख्याI–273/2021 कलम से लिखा हुआ है तथा उस पर माननीय न्यायालय प्रभात कुमार चौधरी, जे0एम0फर्स्ट क्लास का सील मोहर भी लगा हुआ है। उसे भी न्यायालय के समक्ष खोला गया है। साक्षी यह भी कहते हैं कि यही वह ए0टी0एम0 कार्ड है, जिसका नम्बर 5088330001669410 है एवं उस पर सरोज कुमार भास्कर नाम अंकित है, बरामद हुआ था, जिसे वस्तु प्रदर्श–01 तथा पॉच–पॉच सौ का दो बंडल रूपया जिस दोनो पर भारतीय स्टेट बैंक ताजपुर का स्टीकर एवं मोहर लगा हुआ बरामद हुआ था। जिसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसे वस्तु प्रदर्श–02 एवं 02/1 साक्षी के पहचान पर अंकित किया गया है।

4.5(b) साक्षी, आगे यह अभिकथित करते हैं कि अनुसंधान के दौरान अभियुक्त ओम प्रकाश को कागजात एवं प्रदर्श के साथ लेकर मुफ्फसिल थाना आया तथा सकड़ा थाना से समन्वय स्थापित कर सहदुल्लाहपुर थाना सकड़ा इन्द्रसेन कुमार उर्फ भुल्ला के घर पर छापामारी किया तो इन्द्रसेन उर्फ भुल्ला घर से फरार पाया गया और पुलिस को देखकर उसकी मॉ आशा देवी वहॉ से धीरे से खिसकने लगी और वह हड़बड़ाहट में पाई गई, देखने से उसका आचरण संदिग्ध लग रहा था। महिला पुलिस बल के सहयोग से आशा देवी से जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो अपने पुत्र इन्द्रसेन कुमार का हाजीपुर एच0डी0एफ0सी0 बैंक, एस0बी0आई0 ताजपुर एवं केनरा बैंक, बिक्रमपुर बान्दे में लूटपाट में संलिप्त होने की बात स्वीकार की साथ ही लूटे हुए रूपये को बरामद करने का आश्वासन भी दी। तत्पश्चात उनका स्वीकारोक्ति बयान लिया गया और उनके निशानदेही पर उनके घर में स्थित ट्रंक से 23,50,000/– रूपया एच0डी0एफ0सी0 बैंक, जरूआ हाजीपुर का और 30,000/– रूपया केनरा बैंक, बिक्रमपुर बान्दे बैंक का तथा 500/– रूपया का दो बंडल एक लाख रूपया एस0बी0आई0 ताजपुर का बरामद हुआ है। जिसका विधिवत जब्ती सूची मुफ्फसिल थाना के पु0अ0नि0 संतोष कुमार ने तैयार किया और जिसकी एक प्रति सुमन कुमार को दिया गया। बिना नम्बर का एक सुपर स्प्लेन्डर

मोटरसाईकिल भी बरामद किया गया है, उसका भी जब्ती सूची बना। यह वही जब्ती सूची है जो साक्षी के समक्ष मुफ्फसिल थाना के पु0अ0नि0 संतोष कुमार के द्वारा बनाया गया था तथा जिस पर साक्षी एवं सकरा थाना के स0अ0नि0 नागेन्द्र प्रसाद सिंह का भी हस्ताक्षर अंकित है। जिसे साक्षी ने पहचाना है और सम्पूर्ण जब्ती सूची हस्ताक्षर सहित प्रदर्श–05 अंकित किया गया है।

4.5(c) साक्षी अभिकथित करते हैं कि उक्त के बाद ग्राम–केसोपुर सिमरी, थाना–सकरा में प्रभात कुमार उर्फ गोलू के घर छापेमारी किया गया तो तालाशी में उसके घर के अंदर रखे काठ के बक्सा से 16,500 रूपया एच0डी0एफ0सी0 बैंक का, 3000 रूपया केनरा बैंक का तथा एक लाख रूपया 500 रूपया के दो बंडल के रूप में एस0बी0आई0 ताजपुर जिसमें एस0बी0आई0 का काउन्ट एवं ब्रेक स्टीकर लगा हुआ था तथा एक बिना नम्बर का प्लेटिना मोटरसाईकिल बरामद हुआ जो सी0सी0टी0वी0 कैमर के अवलोकन से ताजपुर बैंक डकैती में प्रयोग हुआ पाया गया और इसका मूल जब्ती सूची मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 191/2021 में संलग्न है तथा प्रदर्श भी मालखाना में सुरक्षित है। साक्षी के पहचान पर संपूर्ण जब्ती सूची को प्रदर्श–06 अंकित किया गया है।

4.5(d) साक्षी यह भी अभिकथित करते हैं कि वे अन्य पुलिस टीम के साथ ग्राम–चम्पापुर, थाना– बलिगॉव के राजीव कुमार उर्फ भुल्ला के घर छापेमारी किया, राजीव कुमार उर्फ बुल्ला घेराबंदी कर घर में ही पकड़ा गया और पूछताछ के क्रम में केनरा बैंक बिक्रमपुर बांदे एवं एस0बी0आई0 ताजपुर में हुए बैंक डकैती में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया, उसका स्वीकारोक्ति बयान लिया गया और उसके निशानदेही पर उसके घर से 20000 रूपया केनरा बैंक का, और 50000 रूपया एस0बी0आई0 ताजपुर बैंक का जो कि 500 रूपया का एक गड्डी था जिसमें एस0बी0आई0 ताजपुर काउन्ट एवं ब्रेक स्टीकर लगा हुआ था एवं एक मोबाईल बरामद कर उसकी जब्ती सूची बनायी गई। साक्षी के पहचान पर सम्पूर्ण जब्ती सूची हस्ताक्षर सहित प्रदर्श–07 अंकित किया गया है।

आगे साक्षी यह भी अभिकथित करते हैं कि राजीव कुमार उर्फ बुल्ला के पास से एस0बी0आई0 ताजपुर में लूटी गयी राशि में से पॉच सौ रूपया का एक गड्डी कुल पचास हजार रूपया बरामद हुआ था, जिसे विधिवत जब्ती सूची बनाकर संतोष कुमार पु0अ0नि0 मुफ्फसिल थाना द्वारा साक्षी के समक्ष जब्त किया था, जिस पर साक्षी का भी हस्ताक्षर है। जब्त समान का वस्तु प्रदर्श अभी उसके सामने है, जिसे मुफ्फसिल थाना के स0अ0नि0 सुरेश यादव द्वारा न्यायालय में लाया गया तथा उनके साथ अन्य केश का भी वस्तु प्रदर्श उपलब्ध है तथा न्यायालय के सामने सील बंद डब्बा खोला गया, उक्त डिब्बा पर भी एक स्लिप लगा सटा हुआ है,

जिस पर माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम–02, समस्तीपुर का हस्ताक्षर अंकित है। जिसमें पॉच सौ रूपया का एक बंडल कुल 50000/– रूपया ताजपुर बैंक डकैती से संबंधित है, पाया गया। यही वह पॉच सौ रूपया का बंडल है, जिस पर एस0बी0आई0 ताजपुर बैंक का मोहर और स्लिप लगा हुआ है तथा स्लिप पर बैंक के द्वारा दिनांक–17.05.2021 दर्ज है, यह रूपया सील हालत में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। साक्षी के पहचान पर इसे वस्तु प्रदर्श–03 अंकित किया गया है। आगे साक्षी यह भी कहते हैं कि डिब्बा में अन्य कांड का रूपया भी है। इसी कांड से संबंधित एक मोबाईल सेट है जिसके पीछे में एक स्लिप लगा हुआ है जिसपर माननीय न्यायालय, ए0सी0जे0एम0–02, समस्तीपुर का हस्ताक्षर अंकित है। मोबाईल के स्लिप पर मुफ्फसिल थाना कांड–191/2021 दर्ज है। यह वही मोबाईल है, जिसे जब्त किया गया था, जिसे वे पहचान रहे हैं, साक्षी के पहचान पर इसे वस्तु प्रदर्श–04 अंकित किया गया है।

4.5(e) साक्षी यह भी कहते हैं कि इस कांड में इन्द्रसेन कुमार उर्फ भुल्ला, पे0– सुरेश भगत के घर के अंदर ट्रंक से 1,30,000/– रूपया बरामद हुआ था, जिसमें ताजपुर बैंक डकैती का एक लाख रूपया पाया गया। इसके अलावा एक स्प्लेन्डर मोटरसाईकिल बिना नम्बर का भी बरामद हुआ था। न्यायालय में सील बंद डिब्बा खोला गया, जिस पर एक स्लिप सटा हुआ पाया गया तथा उस पर माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0–02, समस्तीपुर का हस्ताक्षर अंकित है। उक्त डिब्बा से ताजपुर बैंक से लूटी गयी एक लाख रूपया जो पॉच–पॉच सौ रूपये के बंडल में है, जिस पर ताजपुर एस0बी0आई0 का मुहर अंकित है एवं उस पर स्लिप भी लगा हुआ है, पाया गया। साक्षी के पहचान पर इन्हें क्रमशः वस्तु प्रदर्श–05 एवं 05/01 अंकित किया गया है।

4.5(f) साक्षी ने यह भी अभिकथित किया है कि प्रभात कुमार गोलु के पास से एक लाख तीस हजार रूपया जो ताजपुर बैंक डकैती से संबंधित पॉच सौ रूपये के दो बंडल के रूप में उनके सामने न्यायालय में प्रस्तुत है जिस पर माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0–02 समस्तीपुर का हस्ताक्षरयुक्त स्टीकर चिपका है और बंडल पर ताजपुर एस0बी0आई0 का स्टीकर एवं मोहर लगा हुआ है को साक्षी ने पहचानते हुए कहा कि यह उनके सामने जब्त किया गया था और साक्षी के पहचान पर उन्हें वस्तु प्रदर्श–06 एवं 06/01 अंकित किया गया है।

4.5(g) साक्षी ने यह भी अभिकथित किया है कि अनुसंधान के क्रम में अन्य पुलिस टीम के साथ उन्होंने मुकेश राम घर भी विधिवत तलाशी ली है। घर से 2000 रूपया का 25 नोट एवं 500 रूपया का 100 नोट कुल एक लाख रूपया एवं केनरा बैंक का 15000 रूपया बरामद हुआ साथ में एक भारतीय स्टेट बैंक का ए0टी0एम0 कार्ड जिस

पर अर्चना लिखा हुआ कार्ड नम्बर 5596010055837650 भी बरामद हुआ। साक्षी यह कहते हैं कि अर्चना सरोज कुमार भास्कर की पत्नी है उन्होंने अभिकथित किया है कि डकैती के क्रम में उनका दो एवं उनकी पत्नी अर्चना ए0टी0एम0 कार्ड लूटा गया। साक्षी के पहचान पर सम्पूर्ण जब्ती सूची हस्ताक्षर सहित प्रदर्श–08 अंकित किया गया। साक्षी के समक्ष ताजपुर थाना के चौकीदार रघुनाथ सिंह द्वारा एक सील बंद डिब्बा साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत किया गया जिस पर एम0आर0 08/2021 अंकित है और उस डब्बे को न्यायालय के समक्ष खोला गया जिससे 2000 रूपया का 25 नोट एवं 500 का एक बंडल जिस पर एस0बी0आई0 ताजपुर का स्टीकर एवं बैंक मोहर अंकित है निकला जिसके बारे में साक्षी ने कहा कि यह वही रूपया है जो ताजपुर बैंक डकैती से संबंधित है और उनके सामने जब्त हुआ है साक्षी के पहचान पर रूपयों को वस्तु प्रदर्श–07 एवं 07/01 अंकित किया गया है। उसी डिब्बा से निकले ए0टी0एम0 कार्ड जिसका विवरण ऊपर दिया गया है को भी साक्षी ने पहचानते हुए कथित किया है कि यह उनके सामने जब्त किया गया था। साक्षी के पहचान पर उक्त ए0टी0एम0 कार्ड को वस्तु प्रदर्श–08 अंकित किया गया है।

4.5(h) साक्षी ने यह भी अभिकथित किया है कि अनुसंधान के क्रम में उन्होंने दिनांक–03.08.2021 को एस0बी0आई0 शाखा ताजपुर से सी0सी0टी0वी0 फुटेज की मांग की जो तकनीशियन राजा कुमार के द्वारा दिनांक–19.05.2021 का समय 10 बजकर 20 बजे से 10:35 बजे पूर्वाह्ण का फुटेज 64 जीबी के पेनड्राईव में प्रमाण सहित दिया गया। साक्षी के पहचान पर उक्त मूल प्रमाण–पत्र को प्रदर्श–09 अंकित किया गया है।

4.5(i) साक्षी ने अभिकथित किया है कि अनुसंधान के उपरांत साक्ष्य के आधार पर उन्होंने उक्त नामित अभियुक्त के साथ–साथ अभियुक्त राजीव कुमार बुल्ला के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया एवं अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध अनुसंधान जारी रखा। साक्षी ने न्यायालय में खड़े अभियुक्त ओम प्रकाश उर्फ उपेन्द्र को पहचाना है।

प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने अभिकथित किया है कि प्राथमिकि में ए0टी0एम0 कार्ड लूटे जाने की बात कही गई थी परन्तु कांड दैनिकी में कार्ड का नम्बर नहीं लिखा। घटना स्थल के चारों ओर स्थित संस्थान के मालिक या कर्मचारी का बयान अनुसंधान के क्रम में उन्होंने नहीं लिया।

प्रतिपरीक्षण पर कंडिका 33 एवं 34 में साक्षी ने अभिकथित किया है कि घटना स्थल वाले बैंक के पदाधिकारी तथा कर्मचारी ने अभियुक्तों के हुलिया का वर्णन किया था और सी0सी0टी0वी0 के अवलोकन से अभियुक्तों को मास्क पहने हुए पाया परन्तु चेहरे का अन्य भाग दिख रहा था।

न्यायालय के समक्ष घटना के फुटेज का पेनड्राईव चलाकर बचाव

पक्ष द्वारा यह प्रश्न किया गया कि अभियुक्त ओम प्रकाश उर्फ उपेन्द्र का चेहरा स्पष्ट नही दिखता है, इसके जबाव में साक्षी ने अभिकथित किया की अभियुक्त ओम प्रकाश उर्फ उपेन्द्र का चेहरा एवं हाव– भाव से वह उसे पहचान रहा है। साक्षी ने यह भी अभिकथित किया है कि घटना के समय बैंक में मौजूद कर्मचारियों ने अनुसंधान के अन्तर्गत दर्ज बयान में अपराधी को देखकर पहचानने का दावा नहीं किया और न ही आस–पास के किसी साक्षी ने यह कहा की उन्होंने अपराधी को भागते देखा। साक्षी ने यह भी अभिकथित किया है कि कथित बरामद रूपया का पहचान संबंधित बैंक कर्मचारी से उन्होंने नहीं करवाया और न ही अभियुक्त का पहचान परेड करवाया।

साक्षी ने बचाव पक्ष के सुझाव से इंकार किया है कि अभियुक्त के पास से बैंक लूट का रूपया बरामद नहीं हुआ था, बल्कि जाली फरेवी कर के अभियुक्त को फँसा दिया गया।

4.6 अभियोजन साक्षी संख्या–06 संतोष कुमार जो पुलिस अवर निरीक्षक हैं ने अपने अभिसाक्ष्य में यह अभिकथित किया है कि दिनांक–17.06.2023 को वे मुफ्फसिल थाना समस्तीपुर में कार्यरत है और ग्राम–पाहेपुर, थाना–मुफ्फसिल, जिला–समस्तीपुर में अभियुक्त ओम प्रकाश के ससुराल रामबाबू महतो के घर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार मिश्रा, इन्स्पेक्टर बिक्रम आचार्य, विजय भांकर साह, इमतियाजुल हक, परशुराम सिंह, नगर थाना हाजीपुर के सुनिल कुमार, शंभुनाथ सिंह थाना प्रभारी ताजपुर के साथ गए और छापेमारी के दौरान अभियुक्त ओम प्रकाश को ससुराल में पकड़ा, उसकी विधिवत तलाशी लिया तथा तलाशी सह जब्ती सूची इनके द्वारा ही बनाई गई। आगे साक्षी अभिकथित करते हैं कि जब्ती के दौरान इन लोगों ने ओम प्रकाश के जिंस पैन्ट के बायें कमर मे खोसा हुआ एक लोडेड देशी पिस्टल, सात गोली मैगजीन में भरा हुआ एवं बायें पॉकेट से एक खाली मैगजीन, जिंस के दायें पॉकेट से सैमसंग कम्पनी का एक स्मार्ट फोन के साथ–साथ एक काला बैगनी रंग का पिट्ठु बैग जिस पर Fasrtsck 10 Moveon दर्ज जिसमें 500 रूपया का दो बंडल जिस पर भारतीय स्टेट बैंक, ताजपुर समस्तीपुर लिखा हुआ प्रत्येक बंडल में 100 नोट कुल राशि एक लाख रूपया, 20 रूपये का 10 बंडल प्रत्येक 100 का केनरा बैंक लिखा हुआ, कुल 20000/– रूपया, 20 रूपया का 100 नोट, भारतीय स्टेट बैंक का ए0टी0एम नम्बर 5088330001669410 तथा काले रंग का स्प्लेन्डर प्लस मोटरसाईकिल रजि0 नम्बर– एचआर12क्यू5545 बरामद किया। साक्षी यह भी अभिकथित करते हैं कि बरामद वस्तुओं की जब्ती सूची पर दो स्वतंत्र साक्षियों का हस्ताक्षर लिया गया, साक्षी ने भी अपना हस्ताक्षर किया तथा उसकी एक प्रति अभियुक्त को दी गई है।

साक्षी ने जब्ती सूची सहित साक्षियों के हस्ताक्षर की पहचान की है।

प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने अभिकथित किया है कि सारा रूपया पिट्ठु बैग में रखा हुआ था और यह बैग ट्रंक के अंदर रखा हुआ था परन्तु ट्रंक में ताला नहीं लगा था। साक्षी यह भी कहते हैं कि उन्होंने जब्त सामान को घटना स्थल पर सील नहीं किया बल्कि थानाध्यक्ष मुफ्फसिल को सारा रूपया दे दिया गया।

4.7 अभियोजन साक्षी संख्या–07 अभिषेक आनंद ने अभिकथित किया है कि घटना दिनांक–19.05.2021 के 10:38 बजे दिन की है, घटना के समय वे ताजपुर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हेड ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे और घटना वाले दिन बैंक में ही शाखा प्रबंधक के केबिन में अपने सीट पर बैठे थे, वहीं पर दो लोग हाथ में आर्म्स लिए आए और आर्म्स के बल पर शाखा प्रबंधक को बंधक बना लिया, डी0वी0आर तोड़ दिया तथा अपराधीगण कैशियर और क्लर्क के पास से पैसे लेकर गए। एक लाईट यानी बल्ब यू0पी0एस पर जल रहा था। बैंक में कुल 7,90,000 रूपया का डकैती हुआ परन्तु साक्षी अपराधी को नहीं पहचान पाया क्योंकि वे गमछा से मुँह लपेटे हुए थे।

साक्षी ने यह भी अभिकथित किया है कि बैंक के रूपये में जो बंडल रहता है उस पर बैंक का मोहर लगा रहता है, जो रूपया खुला रहता है उस पर मोहर नहीं लगा रहता।

अभिसाक्ष्य के दौरान साक्षी के समक्ष इस कांड में जब्त वस्तु प्रदर्श मुफ्फसिल थाना के स0अ0नि0 सुरेश यादव के द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसे देखकर साक्षी ने अभिकथित किया कि कपड़े के थैले में दो गद्दी 500 रूपये का नोट है और यह सभी नोट ताजपुर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समस्तीपुर का है तथा इस पर शाखा का मुहर लगा हुआ है। साक्षी ने इन रूपयों को पहचाना है। रूपये पूर्व से वस्तु प्रदर्श–02 एवं 02/01 अंकित हैं।

प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने अभिकथित किया है कि अपराधी गमछा से पुरा मुँह बॉधे हुए था इसलिए उन्होंने किसी को नहीं पहचाना और अपराधियों ने इन लोगों को कोई जख्म नहीं पहुँचाया तथा वे जहॉ बैठे हुए थे वहॉ का केबिन या ड्रॉबल नहीं खुलवाया। साक्षी ने यह भी अभिकथित किया है कि उसें ताजपुर स्टेट बैंक के कैशियर ने बताया कि बैंक में कुल सात लाख नब्बे हजार रूपया का लुट हुआ और वे यह नहीं बता सकते की लूटे गये रूपये में कितना नोट एक हजार का था, कितना नोट पांच सौ का था, कितना 100 का था, कितना नोट बीस रूपये का था और वे यह भी नहीं बता सकते कि घटना के दिन ग्राहकों के द्वारा बैंक में कितना रूपया जमा किया गया और कितना रूपया निकासी किया गया। घटना के दिन रिजर्व बैंक से ताजपुर शाखा में कोई रूपया नहीं आया था। पुलिस के द्वारा लूटे गये रूपया का पहचान कराने के लिए साक्षी को थाना पर या किसी दंडाधिकारी के

समक्ष नहीं बुलाया गया। जिस झोला में वस्तु प्रदर्श रूपया लाया गया उस झोला पर ताजपुर थाना कांड संख्या–194/2021 नहीं लिखा हुआ है। जिस डिब्बा में वस्तु प्रदर्श स0अ0नि0 सुरेश यादव द्वारा लाया गया है उस डिब्बा पर भी ताजपुर थाना कांड संख्या–194/2021 नहीं लिखा है। जब्त वस्तु प्रदर्श में जो 500 रूपये नोट का दो गद्दी है तथा जो कहा जाता है कि ताजपुर एस0बी0आई0 बैंक का है उस पर भी ताजपुर थाना कांड संख्या –194/2021 नहीं लिखा है। इस दोनों 500 रूपये नोट के गद्दी में कितना कितना रूपया है, इसकी जानकारी साक्षी को नहीं है। इस तरह का सील किया हुआ और मोहर मारा हुआ नोट का गद्दी ग्राहक को भी दिया जाता है। ये संभव है कि न्यायालय में प्रस्तुत जब्त वस्तु प्रदर्श 500 रूपये के दो गद्दी ग्राहक को भी दिया गया है।

5. अभियोजन की ओर से निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं–

5.1 प्रदर्श–01– सूचक–PW-01 का फर्दबयान जिसके आधार पर यह वाद कायम किया गया।

5.2 प्रदर्श–02– फर्दबयान अर्थात प्रदर्श–01 पर तत्कालिन थानाध्यक्ष का पृष्ठांकन कर वाद दर्ज किया जाना।

5.3 प्रदर्श–03 से 03/02 प्रारूपिक प्राथमिकी पर हस्ताक्षर।

5.4 प्रदर्श–04– अभियुक्त ओम प्रकाश से संबंधित जब्ती सूची।

5.5 प्रदर्श–05– सह अभियुक्त इन्द्रसेन कुमार उर्फ भुल्ला से संबंधित जब्ती सूची।

5.6 प्रदर्श–06– सह अभियुक्त प्रभात कुमार उर्फ गोलु से संबंधित जब्ती सूची।

5.7 प्रदर्श–07– सह अभियुक्त राजीव कुमार उर्फ बुल्ला से संबंधित जब्ती सूची।

5.8 प्रदर्श–08– सह अभियुक्त मुकेश राम से संबंधित जब्ती सूची।

5.9 प्रदर्श–09– भारतीय स्टेट बैंक ताजपुर के शाखा प्रबंधक द्वारा पेनड्राईव में मूल रूप में दिये गये सी0सी0टी0वी0 फुटेज दिनांक–19.05.2021 के समय 10:20 बजे से 10:35 तक का सर्टिफिकेट।

6. अभियोजन की ओर से अधोलिखित वस्तु प्रदर्श भी प्रस्तुत किये गये हैं।

6.1 वस्तु प्रदर्श संख्या–01 ए0टी0एम0 कार्ड नम्बर 5088330001669410 जिस पर सरोज कुमार भास्कर अंकित है।

6.2 वस्तु प्रदर्श संख्या–02 एवं 02/01, 500–500 रूपया का नोट का दो बंडल दोनो पर भारतीय स्टेट बैंक ताजपुर का स्टीकर एवं मोहर लगा हुआ।

उक्त वस्तु प्रदर्श संख्या–01 से 02/01, अभियुक्त ओम प्रकाश के कब्जे से बरामद कथित है।

6.3 वस्तु प्रदर्श संख्या–03, 500 रूपया का एक गद्दी कुल पचास हजार रूपया जिस पर एस0बी0आई0 ताजपुर बैंक का मोहर और स्लिप लगा है तथा स्लिप पर

बैंक के द्वारा दिनांक–17.05.2021 दर्ज है।

6.4 वस्तु प्रदर्श संख्या–04, एक मोबाईल सेट।

उक्त वस्तु प्रदर्श संख्या–03 एवं 04 सह अभियुक्त राजीव कुमार उर्फ बुल्ला के कब्जे से बरामद कहा जाता है।

6.5 वस्तु प्रदर्श संख्या–05 एवं 05/01, 500–500 रूपये का दो बंडल जिस पर एस0बी0आई0 ताजपुर का मोहर एवं स्लिप लगा हुआ है।

उक्त वस्तु प्रदर्श सह अभियुक्त इन्द्रसेन कुमार उर्फ भुल्ला के कब्जे से बरामद होना कहा जाता है।

6.6 वस्तु प्रदर्श संख्या–06 एवं 06/01, 500–500 रूपये का दो बंडल जिस पर एस0बी0आई0 ताजपुर बैंक का स्टीकर और मोहर लगा हुआ है।

उक्त दोनो वस्तु प्रदर्श सह अभियुक्त प्रभात कुमार उर्फ गोलु के कब्जे से बरामद होना कहा जाता है।

6.7 वस्तु प्रदर्श संख्या–07 एवं 07/01, दो हजार का पच्चीस नोट एवं 500 रूपये का एक बंडल दोनो पर एस0बी0आई0 ताजपुर का स्टीकर और बैंक का मोहर अंकित है।

उक्त दोनो वस्तु प्रदर्श सह अभियुक्त मुकेश राम के कब्जे से बरामद कहा जाता है।

6.8 वस्तु प्रदर्श संख्या–08, एक ए0टी0एम0 कार्ड नम्बर 5596010055837650, कार्ड पर नाम अर्चना अंकित है।

उक्त वस्तु प्रदर्श सह अभियुक्त मुकेश राम के कब्जे से बरामद होना कथित है।

7. बचाव पक्ष की ओर से कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के क्रम में यह अभिकथित किया गया कि अभियुक्त पुर्णतः निर्दोष है, उसने कथित प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि रंजिश वश पुलिस के द्वारा उसे इस मामले में फंसा दिया गया है। यह भी बहस किया गया कि घटना कारित करने वाले व्यक्तियों की पहचान किसी भी साक्षी के द्वारा नहीं की जा सकी है और न ही अनुसंधान के दौरान न तो अभियुक्त का और न ही कथित जब्त वस्तुओं का टी0आई0पी0 करवाया गया है और इस कारण से अभियुक्त की पहचान अभियोजन सुनिश्चित नहीं कर पाया है। यह भी बहस किया गया कि अभियुक्त के कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं है, बल्कि कथित बरामदगी फर्जी रूप से पुलिस के द्वारा दिखा दिया गया है और कथित जब्ती सूची के स्वतंत्र साक्षियों का परीक्षण नहीं करवाया जाना इस संदेह को पुष्ट करता है। यह

भी बहस किया गया कि अभियुक्त के कब्जे से कथित जब्ती का स्थान अभियुक्त का घर नहीं, बल्कि उसके ससुर का घर कहा जाता है और ससुर को मामले में अभियुक्त नहीं बनाया गया है, ऐसी स्थिति में जब्ती अभियुक्त के कब्जे से नहीं कही जा सकती और यह भी की बरामद रूपयों पर ऐसा कोई पहचान चिन्ह नहीं है जो यह सबित कर सके की यह भारतीय स्टेट बैंक ताजपुर से लूटा हुआ रूपया है। अंततः यह निवेदन किया गया कि अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य अभियोजन नहीं जुटा पाया है, इसलिए अभियुक्त को दोष मुक्त किया जाय।

9. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा बहस किया गया कि अभियुक्त ने अन्य छः सह अभियुक्तों के साथ मिलकर कथित तिथि एवं समय को हाथों में पिस्तौल लिये हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ताजपुर शाखा समस्तीपुर में डकैती कारित किया है और बैंक के शाखा से कुल 7,90,500 रूपया, तीन एस0बी0आई0 ए0टी0एम0 कार्ड एक पहचान पत्र एवं पर्श में रखा अन्य कागजात लूट ले गये। आगे यह भी बहस किया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर प्रथमतः एक अभियुक्त मो0 अरमान को पुलिस ने गिरफ्फतार किया और उसकी स्वीकारोक्ति बयान में यह कथन प्रकट हुआ कि उसने प्रस्तुत अभियुक्त सहित अन्य सह अभियुक्तो मुकेश कुमार राम, राजीव कुमार उर्फ बुल्ला, प्रभात कुमार उर्फ गोलु एवं इन्द्रसेन कुमार उर्फ भुल्ला के साथ मिलकर न केवल ताजपुर में भारतीय स्टेट बैंक को लूटा, बल्कि सोनबरसा पी0एन0बी0 बैंक को लूटने का प्रयास किया और अन्य बैंकों को लूटने की योजना भी बनाई और इस अभियुक्त मो0 अरमान के कब्जे से एक लोडेड देशी पिस्टल, मैगजीन, आठ जिंदा कारतुस एवं एक ए0टी0एम0 कार्ड जिस पर सरोज कुमार भास्कर अंकित नम्बर 5596010140187319 जो इस कांड के सूचक का है एवं मटमैला रंग के बैग के अंदर से 51 बंडल कुल 25,67,000 रूपया का नोट एच0डी0एफ0सी0 बैंक जरूआ का मोहर लगा हुआ एवं अन्य सामान बरामद किया गया। आगे यह भी बहस किया गया कि उक्त अभियुक्त मो0 अरमान के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर प्रस्तुत अभियुक्त ओम प्रकाश उर्फ उपेन्द्र के ससुराल पर छापेमारी की गई और ससुराल वाले घर की तलाशी उसके निशानदेही पर की गई तो उसके पास से लोडेड देशी पिस्तौल, सात गोली, मोबाईल एवं 1,22,000 रूपया जिसमें से भारतीय स्टेट बैंक, ताजपुर समस्तीपुर का स्टीकर एवं मोहर लगा 500—500 रूपये का दो बंडल नोट एवं भारतीय स्टेट बैंक का ए0टी0एम0 नम्बर 5088330001669410 सहित स्पलेन्डर मोटरसाईकिल एवं लाल रंग का मुँगा अंगुठी बरामद किया गया। इस बरामदगी पर विशेष बल देते हुए विद्वान अभियोजक ने अभिकथित किया की अभियुक्त ओम प्रकाश उर्फ उपेन्द्र के पास से भारतीय स्टेट बैंक, ताजपुर समस्तीपुर से लूटा हुआ रूपया एवं ए0टी0एम0 बरामद है। जिसका अभियुक्त के कब्जे में होने का कोई जवाब अभियुक्त नहीं दे पाये हैं।

आगे यह भी बहस किये गए कि इस कांड के अन्य सह अभियुक्तों के कब्जे से भी ए0टी0एम0 कार्ड एवं भारतीय स्टेट बैंक, ताजपुर समस्तीपुर का स्टीकर एवं मोहर लगा हुआ रूपया एवं अर्चना नामांकित ए0टी0एम0 कार्ड बरामद किया गया है। आगे, विद्वान अभियोजक यह भी बहस करते है कि प्रस्तुत अभियुक्त के साथ–साथ अन्य अभियुक्तों के पास से बरामद रूपया, ए0टी0एम0 कार्ड एवं मोटरसाईकिल से अभियोजन यह साबित करने में सफल रहा है कि प्रस्तुत अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्तों के साथ योजना बनाकर कथित तिथि एवं समय को भारतीय स्टेट बैंक, ताजपुर शाखा समस्तीपुर में डाका डाला गया। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि अभियोजन साक्षी संख्या–01, 02, 03, 04 एवं 07 जो घटना स्थल पर मौजूद थे ने अभियुक्त को नहीं पहचाना है तथापि अभियोजन साक्षी संख्या–05 जो इस कांड के अनुसंधानक ने सी0सी0टी0वी0 फुटेज न्यायालय में देखकर चेहरा एवं हाव–भाव से प्रस्तुत अभियुक्त को पहचाना है।

अंततः, विद्वान अपर लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जाय।

10. वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा उभय पक्ष के बहस के आलोक में अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों को इस दृष्टि से विश्लेषण हेतु लिया जाता है कि क्या वे इस सीमा तक विश्वसनीय हैं कि अभियुक्त पर लगाए गए आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से साबित कर सकें–

10.1 अभियोजन साक्षी संख्या–01, अभियोजन साक्षी संख्या–02, अभियोजन साक्षी संख्या–03, अभियोजन साक्षी संख्या–04, एवं अभियोजन साक्षी संख्या–07 सभी उस बैंक अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक, ताजपुर शाखा, समस्तीपुर के कर्मचारी हैं। उन सभी ने घटना की तिथि एवं समय का समर्थन करते हुए सारतः यह अभिकथित किया है कि दिनांक–19.05.2021 को 10:10 बजे से 10:20 बजे तक बैंक में 07/06 अपराधकर्मी हाथों में पिस्तौल लिये शाखा के अंदर प्रवेश कर गये और कर्मियों को कब्जे में लेकर विभिन्न काउन्टरों से कुल 7,90,590 रूपया एव कैशियर सरोज कुमार भास्कर का निजी सामान तीन ए0टी0एम0 कार्ड जिसमें से दो उनका एवं एक उनकी पत्नी अर्चना का एवं 1200 रूपया नकद एवं बैंक का आई0डी0 कार्ड लूटकर ले गये।

उक्त सभी साक्षी बैंककर्मी हैं जिनका अभियुक्त के साथ कोई दुश्मनी या अभियोजन के साथ कोई हितबद्धता प्रकट नहीं होता है। इनके प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं किया जा सका है जो उक्त बिंदुओं पर उनकी सत्यवादिता को खंडित या प्रभावित कर सके। इस प्रकार, प्रस्तुत न्यायालय को ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि उक्त बिंदुओं पर उनका साक्ष्य विश्वसनीय न माना जाय। हालांकि, उक्त सभी साक्षियों ने यह स्पष्टतः अभिकथित किया है कि चेहरा

ढका होने के कारण वे अभियुक्त को पहचान पाने में समर्थ नहीं हैं अर्थात् इन सभी साक्षियों ने अपराधकर्ता के रूप में विचारण के दौरान अभियुक्त को नहीं पहचाना है।

10.2 अभियोजन साक्षी संख्या–04, विजय शंकर साह जो इस वाद के अनुसंधानकर्ता हैं ने यह अभिकथित किया है कि अनुसंधान के दौरान हाजीपुर के पु0अ0नि0 सुनिल कुमार ने उन्हें बताया कि मो0 अरमान नामक अपराधी के स्वीकारोक्ति बयान में प्रस्तुत वाद अर्थात ताजपुर बैंक डकैती के सभी अभियुक्तों का नाम आया है और उसके पास से एस0बी0आई0 का कीम कलर का सरोज कुमार भास्कर नाम अंकित ए0टी0एम कार्ड भी बरामद हुआ है (प्राथमिकी, प्रदर्श–01, में यह उल्लेख है कि अन्य के साथ–साथ, सूचक सह अभियोजन साक्षी संख्या–02 का, ए0टी0एम0 कार्ड भी लूटा गया) और स्वीकारोक्ति बयान तथा जब्ती सूची की प्रति प्राप्त करवाया। साक्षी ने यह भी अभिकथित किया है कि उक्त सूचना के आधार पर उक्त नामित अभियुक्त अर्थात ओम प्रकाश उर्फ उपेन्द्र के ससुराल में छापेमारी की गई और उनके कब्जे से अन्य के साथ–साथ 500 रूपया के नोट का दो बंडल प्रत्येक 100–100 का जिस पर एस0बी0आई0 ताजपुर शाखा का स्लिप एवं मोहर लगा हुआ था तथा सरोज कुमार भास्कर अंकित एक ए0टी0एम0 कार्ड बरामद किया गया जिसकी जब्ती सूची (प्रदर्श–04) साक्षी के समक्ष अन्य पुलिसकर्मी एवं स्वतंत्र व्यक्तियों की उपस्थिति में अभियोजन साक्षी संख्या–06 के द्वारा बनाई गई। पुनः अभियोजन साक्षी संख्या–06 ने अपने अभिसाक्ष्य में छापेमारी एवं जब्ती का समर्थन करते हुए अभिकथित किया है कि जब्ती उनके समक्ष छापेमारी के कम में कि गई और जब्ती सूची अन्य पुलिसकर्मी एवं स्वतंत्र व्यक्तियों के समक्ष उनके द्वारा बनाया गया जो अभिलेख पर प्रदर्श–04 है और उक्त नामित अभियुक्त के कब्जे से बिना ताला लगे ट्रंक के अंदर पिट्ठु बैग के अंदन से प्रदर्श–04 के अनुरूप वस्तुएं बरामद की गई। यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण के दौरान साक्ष्य में अभियोजन साक्षी संख्या–05 के द्वारा बरामद वस्तुओं की पहचान कराई गई है जो अभिलेख पर वस्तु प्रदर्श –01 तथा वस्तु प्रदर्श–02 एवं 02/01 हैं। पुनः अभियोजन साक्षी संख्या–07 के द्वारा भी विचारण के दौरान अभिसाक्ष्य में वस्तु प्रदर्शो– 02 एवं 02/01 की पहचान की गई है।

10.3 यद्यपि अनुसंधान के अन्तर्गत अभियुक्त और वस्तु प्रदर्श 01 से 02/01 तक की पहचान किसी भी साक्षी के द्वारा नहीं कराई गई है, परन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मटरू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए0आई0आर0 1971 एस0सी0 1050 के मामाले में यह भी निर्धारित किया गया है कि पहचान परेड सारवान साक्ष्य नहीं है बल्कि प्राथमिक रूप से यह अनुसंधान की दशा एवं दिशा सुनिश्चित करने के उद्‌देश्य से किया जाने वाला कियाकलाप है और इसका प्रयोग केवल साक्ष्य के सम्पुष्टि के लिए

किया जा सकता है और यह केवल परख के महत्व का है और इसी कारण से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (एत्स्मिन् पहचान 'साक्ष्य अधिनियम' के नाम से संबोधित किया जाएगा) में पहचान परेड का कोई उल्लेख नहीं है। यह भी सामान्य विधिक सिद्धांत है कि सारवान साक्ष्य न्यायालय के समक्ष किया गया अभिकथन या पहचान ही है।

10.4 प्रस्तुत मामले में अभियोजन साक्षी संख्या–05 एवं 06 पुलिस अधिकारी हैं तथा अभियोजन साक्षी संख्या–07 बैंककर्मी हैं और उक्त तीनों ने अपने अभिसाक्ष्य के क्रम न्यायालय के समक्ष वस्तु प्रदर्श संख्या–01, 02 एवं 02/01 की पहचान की है और उनके प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य उद्घाटित नहीं किया जा सका है जिससे इनकी सत्यवादिता एवं विश्वसनीयता पर संदेह किया जा सके।

10.5 इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उपरोक्त नामित अभियुक्त के कब्जे से वस्तु प्रदर्श संख्या–01 से 02/01 तक बरामद किया गया है और अभिसाक्ष्य के दौरान अभियोजन साक्षी संख्या– 05, 06 एवं 07 के द्वारा विचारण के दौरान उसकी पहचान कि गई है, बचाव पक्ष का यह तर्क बलहीन प्रतीत होता है कि अनुसंधान के दौरान अभियुक्त एवं उसके कब्जे से बरामद वस्तुओं की पहचान अनुसंधान के दौरान नहीं कराए जाने के कारण वह विश्वास के योग्य नहीं है।

10.6 यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन की ओर से प्रदर्श–04 के स्वतंत्र साक्षियों का परीक्षण के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है, परन्तु जब जब्ती अन्य साक्ष्यों एवं साक्षियों जिनकी विश्वसनीयता एवं सत्यवादिता असंदिग्ध पाई गई हो के अभिसाक्ष्य से साबित होता हो, जैसा की इस मामले में एत्स्मिन्पूर्व पाया गया है, तो मात्र स्वतंत्र साक्षियों के अपरीक्षण के कारण सम्पूर्ण जब्ती दूषित एवं संदेहास्पद नहीं माना जा सकता।

10.7 इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में प्रस्तुत न्यायालय यह पाता है कि अभियोजन इन तथ्यों को साबित करने में सफल रहा है कि वस्तु प्रदर्श संख्या–01, 02 एवं 02/01 इस मामले के डकैती का माल है और वह उपरोक्त नामित अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया है।

10.8 साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 (a) न्यायालय को यह विवेकाधिकार प्रदत्त करता है कि न्यायालय यह अनुमान कर सकेगा कि यदि कोई व्यक्ति चोरी के तुरंत पश्चात चोरी के सामान के कब्जे में है तो वह या तो स्वयं चोर है या उसने यह जानते हुए सामान प्राप्त किया है कि वह चोरी का है., जब तक कि वह ऐसे कब्जे का लेखा जोखा न दे दे।

उक्त प्रावधान का सहज पठन यह प्रकट करता है कि किसी

व्यक्ति के कब्जे में चोरी का माल चोरी के तुरंत पश्चात पाये जाने पर उसके विरूद्ध निम्न दो में से केवल एक ही उपधारणा की जा सकेगी, प्रथमतः या तो वह चोर है या उसने यह जानते हुए माल प्राप्त किया है कि माल चोरी की है। अर्थात दोनों उपधारणाएं सह–अस्तित्ववान् नहीं हो सकता और यह भी कि एक ही व्यक्ति कोई वस्तु स्वयं को अंतरित नहीं कर सकता।

यह भी स्थापित विधिक सिद्धांत है कि डकैती, लूट का ही उग्र रूप है और प्रत्येक लूट में चोरी या उद्यापन समाहित है।

10.9 उपरोक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत न्यायालय द्वारा यह पाया जाता है कि अभियोजन, यह साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है कि दिनांक–19.05.2021 को प्रातः 10:20 बजे से 10:30 बजे तक के दौरान 07 अपराधकर्मियों के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, ताजपुर शाखा समस्तीपुर में डकैती की घटना कारित करते हुए कुल 7,90,590 रूपया, तीन एस0बी0आई0 का ए0टी0एम0 कार्ड, एक पहचान पत्र एवं 1200 रूपया लूटा गया और उक्त लूटे गए वस्तुओं में से वस्तु प्रदर्श–01 से 02/01 तक उक्त नामित अभियुक्त के कब्जे से दिनांक 17.06.2021 को बरामद किया गया, परन्तु प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के माध्यम से यह साबित नहीं कर पाया है कि प्रस्तुत मामले में वस्तु प्रदर्श संख्या–01 से 02/01 तक का माल किसी व्यक्ति के द्वारा उक्त नामित अभियुक्त को अंतरित किया गया और उक्त नामित अभियुक्त ने उसे यह जानते हुए उसे प्राप्त किया कि वह डकैती का माल है।

10.10 उक्त स्थिति प्रस्तुत न्यायालय यह युक्तियुक्त आधार प्रदान करता है कि वह धारा 114 (a) साक्ष्य अधिनियम के आलोक में उक्त नामित अभियुक्त के विरूद्ध यह खंडनीय उपधारणा करे कि वह चोर/ डकैत है और तद्नुसार उक्त उपधारणा की जाती है। अब, उक्त उपधारणा के खंडन का दायित्व अभियुक्त पर होगा। इस दायित्व के निर्वहन में उक्त नामित अभियुक्त की ओर से मौखिक या दस्तावेजी सहित किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। यहां तक कि धारा 313 द0प्र0स0 के अन्तर्गत बयान के दौरान जब उनसे उक्त संबंध में न्यायालय द्वारा प्रश्न किया गया तो उनका उत्तर केवल यह आया कि सभी आरोप गलत है, वे निर्दोष हैं और पुलिस ने उन्हें झूठा फंसा दिया है। इस प्रकार, यह पाया जाता है कि उक्त नामित अभियुक्त के द्वारा उक्त उपधारणा के खंडन के दायित्व के भार का निर्वहन नहीं किया जा सका है।

10.11 वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों, उभय पक्ष के बहस अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं एत्स्मिन्पूर्व कृत विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचता है कि अभियोजन यह साबित करने में सफल रहा है कि कथित तिथि एवं समय को भारतीय स्टेट बैंक, ताजपुर शाखा, समस्तीपुर में पूर्वनियोजित

षड़यंत्र के तहत उक्त नामित अभियुक्त द्वारा अन्य सह अभियुक्तों के साथ डकैती कारित किया गया अर्थात् धारा 395 एवं धारा 120(B) भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया गया परन्तु अभियोजन उक्त नामित अभियुक्त के विरूद्ध धारा 412 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध साबित करने में असफल रहा है। परिणामतः –

आ दे श

11. उक्त नामित अभियुक्त को धारा 395 एवं धारा 120 (B) भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोपों के लिए दोषी पाते हुए दोषसिद्ध घोषित किया जाता है जबकि धारा 412 भा0द0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

दोषसिद्ध काराधीन है।

दण्ड के बिंदु पर सुनवाई हेतु अभिलेख दिनांक–03.06.2026 को नियत किया जाता है। दोषसिद्ध को कारा से सदेह प्रस्तुत किया जाए।

दण्ड के बिंदु पर सम्यक सुनवाई हेतु प्रोवेशन अधिकारी समस्तीपुर से दोषसिद्ध का प्रोवेशन रिपोर्ट मांगा जाए।

लेखापित एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित

(राहुल कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश–III
समस्तीपुर दि0. 27.05.2026

लेखापित एवं संशोधित

(राहुल कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश–III
समस्तीपुर दि0. 27.05.2026

Date of Judgment	27.05.2026
Date of Reserving Judgment	26.05.2026
Uploading Date	10.06.2026
Uploaded By	Siddhant Kumar

न्यायालयः राहुल कुमार अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, समस्तीपुर

उपस्थित :– राहुल कुमार अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय समस्तीपुर

निर्णय की तिथि :– **09.06.2026**

सी.आई.एस. संख्या :– **1156/2021**

सेशन ट्रायल संख्या :– **546/2022**

FORM-A

सूचक	सुनिल कुमार सिंह
प्रतिनिधित्व	श्री शिव कुमार एवं श्री शिव शंकर प्रसाद, विद्वान अभियोजकगण
अभियुक्त	ओमप्रकाश उर्फ उपेन्द्र
प्रतिनिधित्व	श्री विनोद कुमार सिंह एवं श्रीमती संगीता यादव, विद्वान अधिवक्तागण

FORM-B

अपराध की तिथि	19.05.2021
एफआईआर की तिथि	19.05.2021
आरोप पत्र की तिथि	26.11.2021
आरोप गठन की तिथि	21.10.2022
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	25.11.2022
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि	15-05-2026
निर्णय की तिथि	27.05.2026
दण्डादेश की तिथि	09.06.2026

अभियुक्त का कम	**अभियुक्त का नाम**	**गिरफ्तारी की तिथि**	**जमानत पर मुक्त होने की तिथि**	**आरोप अनतर्गत धारा**	**दोषमुक्त/दोषसिद्ध**	**अधिरोपित दण्ड यदि कोई हो**	**कारा में निरोध की अवधि वास्ते धारा– 428, द0प्र0स0**
01	ओमप्रकाश उर्फ उपेन्द्र	26-07-2021	-----------------	**भा0द0वि0 धारा–395** **धरा 120बी**	**दोषसिद्ध** **दोषसिद्ध**	10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 50000 रूपये अर्थदण्ड 10 वर्ष सश्रम कारावास ए	05 वर्ष 01 महीना 17 दिन

				धारा 412	**दोषमुक्त**	वं 50000 रूपये अर्थदण्ड	

<u>साक्षियों का परिशिष्ट सूची :–</u>

1. मौखिक साक्ष्य : अभियोजन की ओर से।

क्र.सं.	**साक्षियों का नाम**
1	अभियोजन साक्षी सं0–1 – सुनिल कुमार सिंह, सूचक
2	अभियोजन साक्षी सं0–2 – सरोज कुमार भास्कर
3	अभियोजन साक्षी सं0–3 – धर्मेंद्र कुमार
4	अभियोजन साक्षी सं0–4 – ब्रजकिशोर सिंह जोंको
5	अभियोजन साक्षी सं0–5 – विजय शंकर साह, अनुसंधानकर्ता
6	अभियोजन साक्षी सं0–6 – संतोष कुमार
7	अभियोजन साक्षी सं0–7 – अभिषेक आनंद

2. प्रदर्श : अभियोजन की ओर से।

क्र.सं.	**प्रदर्श**
प्रदर्श–01	सूचक का फर्द बयान
प्रदर्श–02	प्रदर्श–01 पर थानाध्यक्ष का पृष्ठांकन
प्रदर्श–3 से 03/02	प्रारूपिक प्राथमिकी पर हस्ताक्षर
प्रदर्श–04	अभियुक्त ओमप्रकाश से संबंधित जब्ती सूची
प्रदर्श–05	सहअभियुक्त इन्द्रशेन कुमार उर्फ भुल्ला से संबंधित जब्ती सूची
प्रदर्श–06	सहअभियुक्त प्रभात कुमार उर्फ गोलू से संबंधित जब्ती सूची
प्रदर्श–07	सहअभियुक्त राजीव कुमार उर्फ बुल्ला से संबंधित जब्ती सूची
प्रदर्श–08	सहअभियुक्त मुकेश राम से संबंधित जब्ती सूची
प्रदर्श–09	भारतीय स्टेट बैंक ताजपुर शाखा समस्तीपुर का दिनांक–19.05.2021 का

	सी0सी0टी0वी0 फुटेज

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत वस्तु प्रदर्श–

वस्तु प्रदर्श संख्या	विवरण
वस्तु प्रदर्श संख्या–01	ए0टी0एम0 कार्ड सरोज कुमार भास्कर अंकित
वस्तु प्रदर्श संख्या–02 एवं 02/01	500–500 रूपया का दो बंडल नोट भारतीय स्टेट बैंक ताजपुर का स्टीकर एवं मोहर लगा हुआ।
वस्तु प्रदर्श संख्या–03	500 रूपया का एक गड्डी एस0बी0आई0 ताजपुर का मोहर और स्लिप लगा हुआ।
वस्तु प्रदर्श संख्या–04	एक मोबाईल सेट
वस्तु प्रदर्श संख्या–05 एवं 05/01	500–500 रूपया का दो बंडल नोट भारतीय स्टेट बैंक ताजपुर का स्लिप एवं मोहर लगा हुआ।
वस्तु प्रदर्श सांख्या–06 एवं 06/01	500–500 रूपया का दो बंडल नोट भारतीय स्टेट बैंक ताजपुर का स्टीकर एवं मोहर लगा हुआ।
वस्तु प्रदर्श संख्या–07 एवं 07/01	2000 रूपया का 25 नोट एवं 500 रूपये का एक बंडल दोनों पर एस0बी0आई0 ताजपुर का स्टीकर एवं बैंक का मोहर अंकित

3. मौखिक साक्ष्य :– बचाव पक्ष की ओर से।

क्र.सं.	साक्षियों का नाम
1	बचाव पक्ष की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. प्रदर्श :– बचाव पक्ष की ओर से।

क्र.सं.	प्रदर्श
1	कोई साक्ष्य नहीं

राहुल कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय
समस्तीपुर